

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई) / द्वितीय एसीपी 92 / अलेसे-गा / १२०१२-१२०१७

दिनांक:- १२/१२/२०१५

आदेश संख्या..... ३६४ / २०१३-१४


राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम) / 2008 / दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त(नियम) पार्ट-I / 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के समुक्त अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-बेंड 2(9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार / लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या / बैच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि
1	2	3	4	5
01.	सुनील कुमार सिंहल	151 / 92	29.03.1995	29.03.2013
02.	दिनेश कुमार खत्री	177 / 92	06.03.1995	06.03.2013

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.014 (88) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती हैं।

क्रम संख्या 01 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकार के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर नदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाचं लम्बित नहीं हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावें।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई) द्वितीय एसीपी 92 / अलेसे-गा / १२०१२-१२०१७
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री..... कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोइ प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) / निजी / गार्ड फाईल ।

दिनांक २३/०१/२०१५


(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-गा)